राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. निगरानी सं0–1812/10/उदयपुर.
2. निगरानी सं0–1813/10/उदयपुर.
3. निगरानी सं0–1814/10/उदयपुर.
4. निगरानी सं0–1815/10/उदयपुर.
5. निगरानी सं0–1816/10/उदयपुर.
6. निगरानी सं0–1817/10/उदयपुर.
7. निगरानी सं0–1818/10/उदयपुर.
8. निगरानी सं0–1819/10/उदयपुर.
9. निगरानी सं0–1820/10/उदयपुर.
10. निगरानी सं0–1821/10/उदयपुर.
11. निगरानी सं0–1822/10/उदयपुर.
12. निगरानी सं0–1823/10/उदयपुर.
13. निगरानी सं0–1824/10/उदयपुर.
14. निगरानी सं0–1825/10/उदयपुर.
15. निगरानी सं0–1827/10/उदयपुर.
16. निगरानी सं0–1828/10/उदयपुर.
17. निगरानी सं0–1829/10/उदयपुर.

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, उदयपुर–द्वितीय. .....प्रार्थी.

बनाम

भैरूलाल पुत्र श्री डालूजी भील (गमेती)
निवासी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर. ...अप्रार्थी सं.–1 (निग.सं.–1812, 1821, 1822, 1824, 1825 व 1829/2010).

धूला पुत्र श्री कालाजी मीणा
निवासी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर. ...अप्रार्थी सं.–1 (निग.सं.–1813, 1814, 1815, 1817, 1827 व 1828/2010).

प्रियंका पुत्री श्री धूला मीणा
निवासी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर. ...अप्रार्थिया संख्या–1 (निग.सं.–1816, 1819/2010).

श्रीमती दुर्गा पत्नी श्री धूला मीणा
निवासी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर. ...अप्रार्थिया संख्या–1 (निग.सं.–1818, 1820, 1823/2010).

सनराईज सोसायटी जरिये अध्यक्ष हरीश राजानी पुत्र श्री भोजराज राजानी एवं सचिव हेमन्त भगवानी पुत्र स्व0 श्री मोटूमल भगवानी निवासी प्लॉट संख्या 01, हिरण मगरी सेक्टर 4, उदयपुर. ...अप्रार्थी संख्या 2 सभी प्रकरणों में.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रार्थी राजस्व की ओर से.

श्री रमेश आचार्य, अभिभाषक .....अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24/02/2014

निर्णय

उपरोक्त सभी 17 निगरानियां राजस्व द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) वृत–उदयपुर (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या क्रमशः 59/09 से 72/09 एवं 74/09 से 76/09 में पारित किये गये पृथक–पृथक **आदेश दिनांक 11.3.2010** के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं। कलेक्टर (मुद्रांक) ने उक्त आदेशों से उप पंजीयक उदयपुर–द्वितीय द्वारा प्रेषित रेफरेंसेज को अस्वीकार किया है।

सभी निगरानियों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने से सभी निगरानियों का निस्तारण एक निर्णय से ही किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा अपने स्वामित्व की संस्थागत प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित ग्राम उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर स्थित सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या 2 मैसर्स सनराईज सोसायटी को विक्रय करना दर्शाते हुए निष्पादित विक्रय—दस्तावेज पंजीयन हेतु उप पंजीयक उदयपुर—द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत करने पर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत आवासीय दर रूपये 60/— प्रति वर्गफीट से निर्धारित करते हुए तद्नुसार देय मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूल की जाकर विक्रय—दस्तावेज पंजीबद्ध कर पक्षकारों को लौटा दिये गये। तत्पश्चात उप पंजीयक द्वारा बिक्रीत सम्पत्तियों का मौका निरीक्षण किये जाने पर सम्पत्तियां शैक्षणिक इकाई द्वारा क्रय किया जाना तथा जिला कलेक्टर, उदयपुर से संस्थानिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित होना पाया गया। इस पर उप पंजीयक ने प्रश्नगत सम्पत्तियों को वाणिज्यिक उपयोग की मानते हुए तत्समय प्रचलित डी.एल.सी. वाणिज्यिक द्वितीय दर रूपये 200/— प्रति वर्गफीट से मालियत निर्धारित करते हुए वांछित कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की राशि जमा कराने हेतु मुद्रांक अधिनियम की धारा 54 के तहत नोटिस क्रेता अप्रार्थी संख्या 2 को नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिसों की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा देय कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की राशि जमा नहीं कराने पर उप पंजीयक द्वारा तदनुसार मालियत निर्धारण एवं कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूली हेतु रेफरेन्सेज कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किये गये। कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पृथक—पृथक पारित किये गये निगरानी अधीन आदेश दिनांक 11.3.2010 से रेफरेंज अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा ये निगरानियां मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथपत्रों के साथ पेश की गयी हैं। निगरानियों से सम्बन्धित विवरण निम्न तालिका अनुसार है :—

—: तालिका :—

निगरानी संख्या	कले.(मु.) का प्रकरण संख्या	बिक्रीत क्षेत्रफल		वक्त पंजीयन उप पंजीयक द्वारा निर्धारित मालियत	रेफरेंस में प्रस्तावित मालियत
		हैक्टर में	वर्गफीट में		
1	2	3	4	5	6
1812/10	59/09	0.31215	33587.34	20,15,240/—	67,17,468/—
1813/10	60/09	0.2160	23241.00	13,94,460/—	46,48,200/—
1814/10	61/09	0.2048	22036.00	13,22,160/—	44,07,200/—
1815/10	62/09	0.2160	23241.60	13,94,496/—	46,48,320/—
1816/10	63/09	0.2160	23241.60	13,94,496/—	46,48,320/—
1817/10	64/09	0.2160	23241.60	13,94,520/—	46,48,320/—
1818/10	65/09	0.302075	32503.27	19,50,196/—	65,00,654/—
1819/10	66/09	0.2500	26900.00	16,14,000/—	53,80,000/—
1820/10	67/09	0.1500	16140.00	9,68,400/—	32,28,000/—

लगातार.....3

1	2	3	4	5	6
1821/10	68/09	0.31215	33587.34	20,15,240/—	1,00,37,568/—
1822/10	69/09	0.31215	33587.34	20,15,240/—	67,17,468/—
1823/10	70/09	0.152075	16363.00	9,81,780/—	32,72,600/—
1824/10	71/09	0.31215	33587.34	20,15,240/—	67,17,468/—
1825/10	72/09	0.31215	33587.34	20,15,240/—	67,17,468/—
1827/10	74/09	0.2160	23241.60	13,94,496/—	46,48,320/—
1828/10	75/09	0.2000	21520.00	12,91,200/—	43,04,000/—
1829/10	76/09	0.31215	33587.34	20,15,240/—	78,95,668/—

बावजूद सूचना अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रार्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक एवं अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान प्रार्थी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि विक्रेतागण द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का विक्रय से पूर्व ही कलेक्टर उदयपुर के कार्यालय से संस्थागत उपयोग हेतु संपरिवर्तन करवाया जा चुका था। क्रेता द्वारा प्रश्नगत सम्पत्तियां शैक्षणिक संस्था की स्थापना हेतु क्रय किये जाने एवं इनका एकमात्र उद्देश्य विद्यालय की स्थापना करना होने से उप पंजीयक द्वारा तदनुसार डी.एल.सी. द्वारा निर्धारित सड़क से दूर की वाणिज्यिक द्वितीय दर से मालियत की गणना करते हुए रेफरेन्स प्रेषित किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी थी। अग्रिम कथन किया कि महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के परिपत्र संख्या 2/2004 के बिन्दु संख्या 6 अनुसार रूपान्तरित भूमि की मालियत की गणना, रूपान्तरण अनुसार ही डी.एल.सी. द्वारा निर्धारित दरों से ही की जा सकती है। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वक्त पंजीयन प्रश्नगत सम्पत्तियां शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित थी, जिसकी मालियत की गणना वाणिज्यिक दर से ही की जा सकती है।

विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किये बगैर, क्रेता संस्था को आयकर विभाग से छूट, नियमन में छूट एवं मुद्रांक शुल्क में छूट सम्बन्धी परिपत्रों को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षणिक उपयोग हेतु संपरिवर्तित भूमि की मालियत आवासीय दर से निर्धारित करते हुए उप पंजीयक द्वारा प्रेषित रेफरेंसेज अस्वीकार किये जाने में विधिक भूल की गई है।

लगातार.....4

विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक का यह भी कथन है कि निगरानी प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथपत्रों में निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण पर्याप्त एवं संतोषप्रद होने के कारण सभी निगरानियां अन्दर मियाद स्वीकार की जावें।

उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित निगरानी अधीन आदेशों को अपास्त करते हुए राजस्व की निगरानियां स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिये सम्पत्ति क्रय की गयी है। प्रार्थी संस्था एक सोसायटी द्वारा संचालित संस्था होने से, विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होकर, समायोपयोगी कार्य हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक कार्य सम्मिलित हैं। अप्रार्थी संस्था सहकारी विभाग में सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा क्रेता संस्था को विभिन्न मदों में छूट प्रदान की गयी है एवं तदनुसार ही संस्था द्वारा सम्पत्ति के नियमन एवं पंजीयन में छूट प्राप्त की गयी है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अग्रिम कथन किया गया कि प्रश्नगत सम्पत्ति वक्त पंजीयन पूर्ण रूप से खाली होकर पहाड़ीनुमा थी, जो कि जमीन तल से लगभग 300 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जिसे क्रेता द्वारा अपने खर्चे पर समतल करवाया गया है। प्रश्नगत सम्पत्ति मुख्य शहर/सड़क पर स्थित नहीं होकर शहर से 15 किमी. दूर स्थित है, जिसमें जाने का कोई मुख्य रास्ता नहीं है। आस—पास किसी प्रकार की ना तो आबादी है एवं ना ही वाणिज्यिक गतिविधियां। बिक्रीत सम्पत्ति का संस्थागत संपरिवर्तन होने के कारण ही उप पंजीयक द्वारा आवासीय दर से मालियत का निर्धारण करते हुए तदनुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूल की जाकर दस्तावेज का पंजीयन किया गया है। तत्पश्चात बिना किसी आधार के मौका निरीक्षण करने के पश्चात वाणिज्यिक दर से मालियत प्रस्तावित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अग्रिम कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) ने राज्य सरकार की अधिसूचनाओं, मुद्रांक अधिनियम एवं प्रकरण की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए तदनुसार मालियत का निर्धारण करते हुए रेफरेंसेज अस्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

लगातार.....5

उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा राज्य **सरकार के परिपत्र क्रमांक 19(3)राज—6/2002/3 दिनांक 15.2.2005, अधिसूचना क्रमांक एफ.04(18)एफडी/टैक्स—डिवी./2001 दिनांक 28.7.2003, आयकर विभाग के आदेश क्रमांक आ.आ./उदय/न्यायिक/2009—2010/781 दिनांक 3.8.2009** एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ के **निगरानी संख्या 1270/2005/उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2008** का हवाला देते हुए राजस्व की निगरानियां अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों एवं उद्धरित राज्य सरकार की अधिसूचनाओं का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेशों दिनांक 11.3.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानियों के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना—पत्रों एवं शपथपत्रों में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए सभी 17 निगरानियां अन्दर मियाद स्वीकार की जाती हैं।

प्रकरणों में कलेक्टर (मुद्रांक) की पत्रावलियों पर उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा अपनी कृषि भूमि का संस्थागत प्रयोजनार्थ भू—उपयोग संपरिवर्तित करवाने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 2 को विक्रय किया गया है। विक्रय दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उप पंजीयक द्वारा आवासीय दर से मालियत की गणना की जाकर तदनुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूल करते हुए दस्तावेज पंजीबद्ध कर पक्षकारों को लौटाये गये। मौका निरीक्षण के पश्चात प्रश्नगत सम्पत्तियों पर विद्यालय की स्थापना किये जाने तथा जिला कलेक्टर उदयपुर के कार्यालय से संस्थागत उपयोग हेतु संपरिवर्तित होने के आधार पर वाणिज्यिक दर से मालियत की गणना करते हुए तदनुसार मालियत निर्धारण हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) को रेफरेंस प्रेषित किये गये, जिन्हें कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेशों से अस्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के परपित्र संख्या 2/2004 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार भूमि को व्यावसायिक मानकर व्यावसायिक दर से मूल्यांकन तभी किया जावे जबकि दस्तावेज के निष्पादन के समय भूमि का उपयोग व्यावसायिक हो, अथवा भूमि का व्यावसायिक उपयोग हेतु रूपान्तरण हुआ हो, अथवा भूमि स्थानीय निकाय की व्यावसायिक योजना में स्थित हो, अथवा भूमि दुकानों या उस क्षेत्र के व्यावसायिक परिसरों की पंक्ति में स्थित हो।

लगातार.....6

इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है कि प्रश्नगत विक्रय—दस्तावेज निष्पादन से पूर्व प्रश्नगत सम्पत्तियों का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू—रूपान्तरण हो चुका था। माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्तों यथा **निगरानी संख्या 1914/2010/नागौर निर्णय दिनांक 7.5.2013 (एकलपीठ), निगरानी संख्या 1832/2012/अलवर निर्णय दिनांक 9.01.2014 (खण्डपीठ) एवं निगरानी संख्या 2326/2005/जयपुर निर्णय दिनांक 27.01.2014 (एकलपीठ)** में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को वाणिज्यिक इकाई माना गया है, जिनके द्वारा क्रय की गई सम्पत्तियों की मालियत की गणना वाणिज्यिक दर से ही की जा सकती है। इस सम्बन्ध में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा भी समय—समय पर जारी परिपत्रों से यह स्पष्ट किया गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा क्रय की गई कृषि/आवासीय सम्पत्तियों की मालियत की गणना वाणिज्यिक दर से की जावे। जबकि प्रश्नगत प्रकरणों में तो क्रय की गई सम्पत्तियों का पंजीयन से पूर्व ही शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया जा चुका था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा क्रय की गई सम्पत्तियों की मालियत की गणना प्रथम दृष्टया वाणिज्यिक दर से ही की जा सकती है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उद्धरित राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.02.2005 अनुसार सोसायटीज द्वारा भू—उपयोग परिवर्तन करवाये जाने पर नियमन शुल्क में छूट दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.7.2003 से क्रेता द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति के पंजीयन के समय मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। क्रेता (अप्रार्थी संख्या 2) द्वारा उक्त दोनों अधिसूचनाओं के अनुसरण में प्रश्नगत सम्पत्ति के नियमन एवं पंजीयन में नियमानुसार छूट प्राप्त की जा चुकी है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने राज्य सरकार द्वारा जारी ऐसा कोई परिपत्र/अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि शैक्षणिक इकाई द्वारा संस्थागत उपयोग हेतु संपरिवर्तित सम्पत्ति क्रय किये जाने पर सम्पत्ति की मालियत की गणना आवासीय दर से की जावे। ना ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि क्रेता संस्था द्वारा विद्यालय की स्थापना कर बिना शुल्क के शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता हो। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के विभागों द्वारा जारी परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं में उल्लेखित आदेशों के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा समय—समय पर लाभ प्राप्त कर लिया गया है। अतः शैक्षणिक इकाई की

लगातार.....7

स्थापना हेतु संपरिवर्तित भूमि की मालियत आवासीय दर से निर्धारित किये जाने बाबत कोई परिपत्र/अधिसूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में क्रेता (अप्रार्थी संख्या 2) सम्पत्ति की मालियत के निर्धारण में छूट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है।

माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वयपीठ द्वारा निगरानी संख्या 1270/2005/उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2008 में प्रतिपादित सिद्धान्त से यह पीठ सहमत नहीं है, क्योंकि उक्त निर्णय के पश्चात माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ एवं एकलपीठ द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह मत प्रतिपादित किया जा चुका है कि शैक्षणिक इकाई द्वारा क्रय की गई सम्पत्तियों की मालियत की गणना वाणिज्यिक दर से निर्धारित की जावे। अतः उक्त निर्णय अप्रार्थी इकाई को सहायभूत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत सम्पत्तियों की मालियत की गणना तत्समय डी.एल.सी. द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक द्वितीय दर से ही की जा सकती है। कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा विवादित सम्पत्तियों की मालियत की गणना आवासीय दर से करते हुए उप—पंजीयक द्वारा प्रेषित रेफरेंस को अस्वीकार किये जाने में प्रथम दृष्टया विधिक त्रुटि की गयी है। अतः कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य पाये जाते हैं।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत सभी 17 निगरानियां स्वीकार की जाती हैं। कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 11.3.2010 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रश्नगत सम्पत्तियों की मालियत रेफरेंस अनुसार (उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या—6 अनुसार) निर्धारित की जाकर प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि वे अप्रार्थी संख्या 2 से वांछित कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
24/04/14